पेरियार टाइगर रिज़र्व से बस्तियों को बाहर करना

स्रोत: द हिंदू

हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड (NBWL) द्वारा **थाट्टेकड पक्षी अभयारण्य** और पेरियार टाइगर रिज़र्व **की एंजेल घाटी और पंबा घाटी बस्तियों** का निरीक्षण करने के लिये एक टीम गठित की गई है।

- **एंजेल घाटी और पंबा घाटी बस्तियाँ (पेरियार टाइगर रिज़र्व):**
  - केरल में **मूकेनपेट्टी** कॉजवे और **कनमाला पुल** के पास स्थित ये बस्तियाँ पूर्व सैनिकों और उनके वंशजों के लिये वर्ष 1947-48 (द्वितीय विश्व युद्ध के बाद) की **'ग्रो मोर फूड' पहल** के तहत बनाई गई थीं।
  - **पेरियार टाइगर रिजर्व** अपनी **जैवविविधता** के लिये प्रसिद्ध है, जिसमें बंगाल टाइगर, भारतीय हाथी और विविध वनस्पतियाँ शामिल हैं और इसे **वर्ष 2022 में भारत के सबसे अच्छे प्रबंधित टाइगर रिज़र्व** के रूप में मान्यता दी गई थी।
  - **वन्यजीवों के आक्रमण** और वन्य नियमों के कारण निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं और **5.02 वर्ग किलोमीटर** आवासीय क्षेत्र को गैर-अधिसूचित करने की मांग की जा रही है।
- **थाट्टेकड पक्षी अभयारण्य:**
  - यह पेरियार नदी पर **कोठामंगलम** के पास स्थित है और **280 से अधिक पक्षी प्रजातियों** का निवास स्थान है।
  - वर्ष 1983 में स्थापित, इसका नाम **डॉ. सलीम अली** (भारत के प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और पक्षी संरक्षणवादी) के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इसे **प्रायद्वीपीय भारत में सबसे समृद्ध पक्षी आवास** माना था।
  - प्रस्तावित परिवर्तनों में मुन्नार प्रभाग से **897.25 हेक्टेयर** आवासीय भूमि को हटाना तथा **1,016.94 हेक्टेयर** वन भूमि को जोड़ना शामिल है।

//

और पढ़ें: भारत में संरक्षति क्षेत्रों का संरक्षण

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/excluding-settlements-from-periyar-tiger-reserve